न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री नवज्योति कंवरिया (R.A.S)

प्रा0पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1/203	03.08.2022	04.12.2024

उनवान

1. हनुमान पुत्र चिरंजी जाति ब्राहमण
2. दौलत पुत्र चिरंजी जाति ब्राहमण
3. रूपसिंह पुत्र शंकर जाति जाट
4. दिनेश पुत्र बनवारी जाति ब्राहमण
5. महेश चन्द पुत्र बनवारी जाति ब्राहमण
6. अमर सिंह पुत्र बिहारी जाति जाट निवासीयान ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा जिला अलवर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. काल्या पुत्र नहना जाति माली
2. छोटेलाल पुत्र कन्हैया जाति माली
3. रामसिंह पुत्र कन्हैया जाति माली
4. भैरू पुत्र कन्हैया जाति माली
5. भगवान पुत्र कन्हैया जाति माली
6. बदरी पुत्र नहन्या जाति माली
7. बसन्ती पत्नि नहन्या जाति माली
8. जितेन्द्र पुत्र योगेश चन्द्र जाति ब्राहमण
9. मनीष पुत्र योगेश चन्द्र जाति ब्राहमण
10. संतोष देवी पत्नि योगेश चन्द्र जाति ब्राहमण
11. सीमा पुत्री योगेश चन्द्र जाति ब्राहमण
12. सोनू पुत्री योगेश चन्द्र जाति ब्राहमण
13. निर्मला पुत्री रामजीलाल जाति ब्राहमण
14. पुष्पा पुत्री रामजीलाल जाति ब्राहमण
15. रामचरण पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण
16. खिल्लू पुत्र मुरली जाति सैनी
17. रामोतार पुत्र मुरली जाति सैनी निवासीयान मालाखेडा जिला अलवर राज0

––अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी ... मालाखेड़ा

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251– (ए) के अधीन अनुज्ञा हेतु।

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–(ए) के अधीन प्रस्तुत या। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 4509 रकबा 0.2200 है0, 10 रकबा 0.0100 है0, 4511 रकबा 0.9900 वाके ग्राम मालाखेडा के प्रार्थी संख्या 1, 2 खातेदार काश्तकार एवं आराजी खसरा नम्बर 4517/2 रकबा 0.5900 है0 वाके ग्राम मालाखेडा का प्रार्थी संख्या 3 खातेदार श्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 4599 प्रार्थी संख्या 4 लगा0 5 की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। परोक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा कृषि यंत्र रखने के लिये व शुधन रखने के लिये प्रार्थीगण ने कच्चा पक्का कुछ निर्माण भी कर रखा है। खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

500 है0 के अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 7 खातेदार है। खसरा नम्बर 4527 रकबा 0.7000 है0 के अप्रार्थी संख्या लगा0 15 एवं खसरा नम्बर 4528 रकबा 0.33 के अप्रार्थी संख्या 16 व 17 खातेदार काश्तकार है। खसरा म्बर 4515 रकबा 0.030 है0 राजस्थान सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तरफ उत्तर मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 4532, 4535, 4536, 4538, 4539, 4537, वाके ग्राम मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान सरकार एवं गैर मुमकिन रास्ते की आराजी है जिस रास्ते पर प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 रकबा 0.7000 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0, से आते जाते रहे है और वर्तमान मे भी आते जाते है तथा अप्रार्थीगण की आराजी मे अरसे दराज से रास्ता कायम है। प्रार्थी इसी रास्ते से होकर अपने बुजुर्गो के समय से अपनी आराजी पर कृषि कार्य हेतु आते जाते है एवं प्रार्थीगण के पास कृषि यंत्र टैक्टर, हल एवं पशुधन लाने ले जाने के लिये एवं तैयार फसल को मंडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही था न ही वर्तमान मे है। प्रार्थीगण के आराजीयात मे आने जाने का अब कोई रास्ता नही है। उक्त खसरा नम्बर का रकबा ही प्रार्थीगण की आराजीयात पर आने जाने के लिये एक मात्र निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 रकबा 0.7000 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0 राजस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण की खातेदारी मे होने पर उसका नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त आराजी मे अरसे दराज से कायम रास्ते से प्रार्थीगण का आवागमन बंद करने की कोशिश व जुस्तजू मे रहते है। अप्रार्थीगण के पूर्वज कन्हैया, खूंटा वगै0 के विरूद्ध उक्त रास्ते के संबंध मे ग्राम पंचायत मालाखेडा/ विकास अधिकारी पं0स0 उमरैण द्वारा भी दिनांक 20.07.1962 को निर्णय किया जा चुका है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त रास्ता पूर्व से ही जारी है तथा प्रार्थीगण व अन्य व्यक्ति उक्त रास्ते अरसे दराज से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। दिनांक 18.07.2022 की पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 4533, 4527, 4528, मे रास्ता पूर्व से था तथा उक्त खसरा नम्बरान के पहले व बाद मे रास्ता नक्शे मे दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बरान मे पूर्व का रास्ता है जिसका प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अरसे दराज से करते चले आ रहे है रास्ता मौके पर वर्तमान मे जारी है जिसे बिना किसी हक व अधिकार के अप्रार्थीगण ने जबरन जोत कर अवरूद्ध कर दिया है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही था। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 रकबा 0.7000 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0, मे स्थित अरसे दराज से रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन कराया जावे एवं अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो प्रार्थीगण के आवागमन एवं कृषि यंत्र टैक्टर आदि लाने ले जाने मे कोई रूकावट व बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। किन्तु कोई जवाब आदि पेश नही किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 13.08.2024 को अप्रार्थीगण हाजिर अदालत नही होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। तहसीलदार मालाखेडा से वर्तमान मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि प्रार्थीयान ग्राम मालाखेडा मे आराजी खसरा नम्बर 4509, 4510, 4511, 4599, 4517/2 के लिये सुखाचार के तहत खसरा नम्बरान 4533, 4527, व 4528 मे से रास्ता चाह रहा है। वर्तमान मे मौके पर खसरा नम्बर 4533 व 4527 मे मौके पर लगभग 3 मीटर चौडाई का कच्चा रास्ता मौजूद है। खसरा नम्बर 4528 के मौके पर कृषि कार्य हो रहा है व कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थी के आराजी तक पहुँचने के लिये अन्य कोई चालू रास्ता मौके पर नही है। हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 4533,4527, व 4528 पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा का मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि सिवायचक खसरा नम्बर 4539 गै0मु0 रास्ता, 4538 चाही सोयम, 4537 चाही सोयम, 4536 चाही सोयम, 4535 चाही सोयम, 4532 बारानी प्रथम व खातेदारी खसरा नम्बर 4533, 4527, 4528, और सिवायचक खसरा नम्बर 4514, 4515, 4516, 4512, 4513 किस्म बारानी प्रथम से लिंक होती है। परन्तु प्रार्थीयान द्वारा केवल खसरा नम्बर 4533, 4527 व 4528 मे से रास्ता चाहा गया है। मौके पर सिवायचक खसरा नम्बर 4538, 4537, 4536, 4535, 4532, रास्ते के लिये काम आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि को रास्ते से जोडने के लिये खसरा नम्बर 4538, 4537, 4536, 4535, 4532, 4533, 4527, 4528, 4528/4932, 4503, 4514, 4515, 4513, 4516, मे से रास्ता लेने पर आराजी रास्ते से लिंक होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) राज0

वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कथन किया।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4509, 4510, 4511, 4517/2 वाके ग्राम मालाखेडा मे अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 4527, 4528, 4533 मे होकर आवागमन एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने का कथन किया है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास निकटतम व लघुतम अन्य कोई रास्ता मौजूद नही होना बताया है तथा उक्त आराजी को अरसे दराज से रास्ते के उपयोग उपभोग लिया जा रहा है। तहसीलदार मालाखेडा ने अपनी रिपोर्ट मे अंकन किया है कि ग्राम मालाखेडा के आराजी खसरा नम्बर 4509, 4510, 4511, 4599, 4517/2, के लिये सुखाचार के तहत रास्ता खसरा नम्बर 4533, 4527, 4528, मे से प्रार्थीगण ने रास्ता चाहा है। वर्तमान मे मौके पर खसरा नम्बर 4533 व 4527 मे मौके पर लगभग 3 मीटर चौडाई का कच्चा रास्ता मौजूद है। खसरा नम्बर 4528 के मौके पर कृषि कार्य हो रहा है व कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थी की आराजी तक पहुॅचने के लिये अन्य कोई विकल्प नही है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि सिवायचक खसरा नम्बर 4539, 4538, 4537, 4536, 4535, 4532, व खातेदारी भूमि 4533, 4527, 4528 और सिवायचक खसरा नम्बर 4514, 4515, 4516, 4512, 4513 से लिंक होती है। मौके पर सिवायचक खसरा नम्बर 4538, 4537, 4536, 4535, 4532, रास्ते के लिये काम आ रहे है। प्रार्थीगण की आराजी भूमि को रास्ते से जोडने के लिये खसरा नम्बर 4538, 4537, 4536, 4535, 4532, 4533, 4527, 4528, 4528/4932, 4503, 4514, 4515, 4513, 4516, मे से रास्ता लेने पर आराजी रास्ते से लिंक हो जायेगी।

धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुॅचने के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है ओर मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सूविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि—
(1) यह आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और—

(2) अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा(2) जहा उपधारा (1)के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखो मे रास्तो के रूप में अभिलिखित की जावेगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सुविधाओ में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है। उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मे होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जावे एंव कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेगे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की बहस में तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी को नया पहॅुच मार्ग सृजित करने की आवश्यकता बताई है। वैकल्पिक साधन का अभाव है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम 1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिमि द्वारा सिफारिश की गई है कि कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखो मे रास्ते के रूप मे अभिलिखित की जावेगी। आराजी खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 रकबा 0.7000 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0, वाके ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

लाखेडा तहसील मालाखेडा मे से 10 फिट चौडा रास्ता दिया जाना है। विभागीय परिपत्र दिनांक 14.06. 13 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावे। आराजी खसरा नम्बर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 रकबा 0. 00 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0, वाके ग्राम मालाखेडा तहसील मालाखेडा में घोषित मार्ग को राजस्व भिलेखों से रास्ता दर्ज किया जावे। एवं रास्ते का अलग नंबर दिया जाकर इसका क्षेत्रफल भी अंकित किया ावे।

तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 4533 रकबा 0.4500 है0, 4527 कबा 0.7000 है0, 4528 रकबा 0.3300 है0, वाके ग्राम मालाखेडा मे से 10 फुट चौडाई का नया रास्ता जिल किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं नवीन रास्ते की डीएलसी दर की दुगनी राशि तहसील र्यालय मालाखेडा में जमा कराने के उपरान्त रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

निर्णय आंज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०